भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स भास्करपारा कोल कम्पनी लिमिटेड, तह.–भैयाथान, जिला–सरगुजा (छ.ग.) द्वारा ओपन कास्ट एवं अण्डरग्राउण्ड कोल माईन प्रोजेक्ट (1.0 एम.टी.पी.ए. लीज एरिया 920 हेक्टेयर) के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये दिनांक 19/12/2011, दिन–सोमवार, स्थान– शासकीय प्राथमिक शाला, बसरकरपारा, तह.–भैयाथान, जिला–सरगुजा में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरणः–

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स भास्करपारा कोल कम्पनी लिमिटेड, तह.–भैयाथान, जिला–सरगुजा (छ.ग.) द्वारा ओपन कास्ट एवं अण्डरग्राउण्ड कोल माईन प्रोजेक्ट (1.0 एम.टी.पी.ए. लीज एरिया 920 हेक्टेयर) के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् **अपर कलेक्टर, अंबिकापुर** की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में **दिनांक 19/12/2011, दिन–सोमवार, स्थान– शासकीय प्राथमिक शाला, बसरकरपारा, तह.–भैयाथान, जिला–सरगुजा** में प्रातः 11:00 बजे लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

सर्वप्रथम **श्री अजय कुमार सिंह, पर्यावरण परामर्शदाता क्रिसटल कंसलटेंट द्वारा** मेसर्स भास्करपारा कोल कम्पनी लिमिटेड की परियोजना और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के संक्षिप्त सार का प्रस्तुतीकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मेसर्स भास्करपारा कोल कम्पनी लिमिटेड, तह.–भैयाथान, जिला–सरगुजा (छ.ग.) द्वारा ओपन कास्ट एवं अण्डरग्राउण्ड कोल माईन प्रोजेक्ट (1.0 एम.टी.पी.ए. लीज एरिया 920 हेक्टेयर) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् आयोजित लोक सुनवाई में लोक सुनवाई हेतु सर्वसम्बंधितों को सूचना के प्रकाशन तिथि से दिनांक 18/12/2011 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर में लिखित या मौखिक में कोई भी सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। दिनांक 19/12/2011 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में **09** सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान **28** व्यक्तियों के द्वारा मौखिक में सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 600 लोग उपस्थित रहे जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर **157** व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

1. कम्पनी सात बोर किया है, चार फेल हो गया है, भविष्य में जल स्तर का परीक्षण कराकर बोर करें, पांचो पंचायतों को पेयजल, स्कूलों को फर्नीचर प्रदाय करने 2–2 लाख रूपये दिये जायें। कार्यों को जमीनी स्तर पर लायें, आई.टी.आई. खोला जाये।

2. ग्रामीण संस्कृति आपसी सहयोग के लिये विश्व में चर्चित है। हम कोयले पर बसे हैं, गर्व का विषय है। बिरला ग्रुप सम्मानीय है, अपेक्षा है कि हमारें यहां अच्छा कार्य करेंगे। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही 10 वर्ष पूर्व की कार्यवाही हो रही है। 10 वर्ष बाद की कार्यवाही पर बटवारा आदि पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उपलब्ध करायी गई बुकलेट में भूमि का नक्शा नहीं है। विस्थापन/रोजगार /स्वरोजगार का क्या तात्पर्य है। कम्पनी हमें अपने सेवा कार्य में लेगी कि नहीं, क्योंकि जमीन हमारी है और हमारी जमीन का मूल्यांकन हम से पूछकर कर किया जाये, हमारी चिंता की जाये। अधिग्रहित भूमि के समीप ओपन कास्ट माईन होने से ओब्हर बर्डन की समस्या होती है, उसके बारे में भी कम्पनी को सोचना चाहिए। आपके प्रस्ताव से हम गदगद हैं यदि नियोजन नहीं होता है तो क्या करेंगे। जानकारी दें नवयुवकों को रोजगार के जो प्रस्ताव दिये है उससे स्थिति में सुधार होगा, क्या फलदार वृक्ष रोपे जायेंगे, इमरती होंगे या विदेशी वृक्ष हो जो ध्यान रखा जाये वनवासी के हितो का ध्यान रखा जाये।

3. हमारी जमीनों का स्वरूप जीवन यापन लायक तक हमारे पूर्वजों ने बनाया है। हम भारतीय हैं और संवैधानिक हक है, यहां पेशा कानून लागू है। इस हेतु ग्रामसभा में सलाह करके कम्पनी के लिये अनुमति कर विचार किया जा सकता है, 18 वर्ष से यहां एक एस.ई.सी.एल. की कोल माईन बंद पडी है जिससे आसपास परेशानी हो रही है। यदि माईन डाली जा रही है तो पेशा कानून के तहत् इस क्षेत्र के लोगों को 51 प्रतिशत शेयर धारक बनाया

जाना चाहिए। क्या यह जमीन, प्रस्ताव अनुसार 27 वर्ष बाद खेती योग्य होगी। हमे अकुशल श्रेणी में रखा गया है। कोई ट्रेनिंग नहीं है। 27 वर्षो बाद अगली पीढी के लिए कोई प्रस्ताव/चर्चा नहीं की गई है, यहां की कृषि भूमि हमारे पूर्वजों की देन है जिससे भविष्य की पीढी का जीवन यापन होगा लेकिन ऐसा लग रहा है कि 27 वर्षो बाद भूमि की वापसी के बाद खेती योग्य बनाया जाना चाहिए, अभी यह क्षेत्र प्रदूषण मुक्त क्षेत्र है, भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी जाये क्या हमारा विस्थापन कर नया बसकरपारा दिया जायेगा। इसके अश्वासन पर हमारी हमें कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभा का अनुमोदन प्राप्त कर आगे की कार्यवाही की जाये।

4. यदि हमारी भूमि अधिग्रहित की जाती है तो बड़ी समस्या यह है कि शिक्षित बेरोजगारी यहां अशिक्षित एवं अनपढ़ क्षेत्र है। यहां के लोगों के लिए आई.टी.आई. की विशेष व्यवस्था की जाये, अनपढ़ों के लिए खेती की जमीन जाने के बाद कोई सुविधा नहीं रहने पर ऐसे लोगों के लिए कम्पनी का क्या प्रस्ताव है स्पष्ट करें, रोजगार की गारंटी को विस्तार से बतायें क्योंकि मकान बनाकर देने से भरण–पोषण नहीं होता, तो कम्पनी ऐसे लोगों के लिए क्या करेगी।

5. यहां पर कम्पनी प्रस्तावति है क्षेत्र वाले यही चाहते है कि जैसा बताया गया है इसका ईमानदारी से पालन हो, विकास होगा हम जानते हैं लेकिन विस्थापन के सम्बंध में ईमानदारी से पालन करें, प्रयास करें।

6. यहां आदिवासी परिवार की बहुलता है जंगल साफकर कृषि योग्य भूमि बनी है। इसका खनन कर कोयला कम्पनी बनायी जायेगी, क्या कम्पनी द्वारा अधिग्रहित भूमि का भू–स्वामी को किस हिसाब से भूमि/मुआवजा दिया जायेगा। नये डालाबहरा का निर्माण प्रस्तावित बताया गया है कॉलरी के विकास में बाधा नहीं डालना चाहते, क्षेत्र साक्षर बने, जिससे सभी का विकास होगा।

7. प्रस्तावित कोल कम्पनी में हमारी जमीन की अधिग्रहित हो रही है ग्राम में बांध बना है, सिंचाई विभाग से, इसे प्रभावित न किया जाये, क्योंकि सारी सिंचाई इसी बांध पर निर्भर है।

8. हमारी पंचायत में पण्डो जनजाति के लोग ही ज्यादातर निवास कर रहे हैं वे पढें लिखे नहीं है उनकी जमीनो का आंकलन कर सही मुआवजा व रोजगार की व्यवस्था की जावे।

9. जैसा कि बताया जा रहा है कि जंगलों को खेती योग्य बनाया गया है, क्या उन भू–स्वामियों को एक–एक नौकरी दी जायेगी, जमीनो की विक्री दलालों द्वारा न की जाकर सीधे किसानों से की जाये, आई.टी.आई. माईन प्रारम्भ होने के पूर्व की जाये, ताकि माईन प्रारम्भ होने पर रोजगार प्राप्त हो जाये। क्या प्रस्ताव का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा। आश्वस्त किया जाय, प्रभावितों को घर बनाकर दें रहे है तो क्या नौकरी दी जायेगी। मैं समर्थन करूंगा भास्करपारा कोल कम्पनी का हमे आशा है कि विकास होगा समर्थन करता हूं।

10. यहां पर पहले एस.ई.सी.एल. आई थी जो बंद हो गयी, ऐसा ना हो कम्पनी लालच दिखाकर बाद में कम्पनी बंद करके चली जाये, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्कताओं की पूर्ति करें, भूमि की दर का खुलासा करें कि कम्पनी अपनी रेट पर ले रही है या शासन के रेट से जमीन लेगी।

11. ग्राम पहाड़ी के नीचे है हमारा गांव में यदि खदान का मलबा नीचे डाला गया तो समस्या होगी, जल की उपलब्धता की जाये हमारे ग्राम में सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, हमारी सातों पंचायतों को जो वादा किया है उसका पालन हो ऐसी व्यवस्था की जाये।

12. कोयला कम्पनी हमारे गांव की आवश्यकताओं का ध्यान रखे, प्रभावित जमीन के बदले में क्या दिया जा रहा है, स्पष्ट किया जाना चाहिए।

13. गांव में जो कम्पनी आ रही है, उसका प्रोजेक्ट 24 साल और 27 साल है, इसके लिए हमारी आने वाली पीढी के लिये क्या सोचा है जिसमे हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा। 24 या 27 साल बाद जमीन क्या खेती योग्य रहेगी या नहीं हमारे ही नहीं हमारे भविष्य के लिए भी सोचा जाय।

14. हम प्लांट–प्लांट सुनते हैं इसका कहीं ऐसा न हो कि प्लांट खोलकर चले जाये, प्लांट का नाम लेकर आतंक फैला रहे हैं, शासन द्वारा कार्यों पर रोक लगाया गया है, शासन अपने स्तर से कार्य करे, नेता लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, जब यहां का कोयला निकाल कर बाहरी क्षेत्र का विकास हो रहा है तो यहां के लोगों की पहली व्यवस्था की जाय इसका अनुबंध हो, क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए, गरीबों को सही लाभ/मुआवजा/मूल्य नहीं मिल रहा है। गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा कर क्षेत्र का विकास करने वाले के लिए कोई आपत्ति नही है। शेष भूमि का भी वन अधिकार पत्र दिया जाये, जिससे हमें भी कुछ मुआवजा मिल

जाय, अनपढ को क्या विकास मिलेगा। बाहरी लोगों के पट्टे को निरस्त करें, स्थानीय लोगों को पट्टा बनाकर दिया जाय, यही हमारा कहना है, क्षेत्र का विकास होना चाहिए।

15. ग्रामपंचायत धरसेड़ी के लोग तीन पीढी से निवास कर रहे हैं, जिनकी भूमि प्रभावित हो रही है इनका कोई जमीन का रिकार्ड नहीं हैं, कहीं–कहीं एक ही जमीन कें कई–कई लोग हिस्सेदार हैं, तो कितनी नौकरी दी जायेगी, सभी प्रभावित जनों को नौकरी, जमीन और बिजली–पानी की व्यवस्था होगी, क्या भविष्य का ध्यान रखा जायेगा।

16. जमीन का पट्टा नहीं बन रहा है, मेरी जमीन नहीं है जिनके द्वारा मेरी जमीन पर कब्जा किया, उसे मुक्त कराया जाये।

17. हम लोग एक खाते में तीन लोग हैं क्या तीनो को नौकरी मिलेगी या एक को नौकरी मिलेगी।

18. हम सभी को एकरूपता के हिसाब से देखा जाय, सभी की मांग एक ही है, समानता से आंकलन किया जाय ।

19. पर्यावरणीय की समस्या से सभी प्रभावित होंगे, ध्वनि से बच्चे विकलांग पैदा होंगे, बच्चे मूक बाधिर होगें, गर्भवती महिलाएं प्रभावित होंगी, उपचार कराने की व्यवस्था की जावे।

20. हमारे केवरा में जो कोयला माईन खोला जावेगा, जहां के अधिकांश पण्डो जनजाति के लोग हैं, इनके द्वारा शासन की जमीन पर घर बनाकर रह रहें हैं। उनके विस्थापन/मुआवजा का क्या प्रस्ताव है। इसी प्रकार जनरल/पिछड़े को भी अधिकार दिया जाय।

21. हमारे सातों ग्राम जो प्रभावित होंगे कोल माईन्स से जिनकी जमीन प्रभावित होगी उन्हें तो नौकरी दी जायेगी, अन्य लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, लोग 50 वर्षों से काबिज है क्या उन्हें पट्टा मिलेगा। पाण्डवपारा का प्रदूषण बड़सरा में भी देखने को मिल रहा है, क्या जल/वायु प्रदूषण के नियंत्रण का उचित व्यवस्था होगी, मैं न सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए।

22. कुर्रीडीह जलाशय से सिंचाई कर उत्पादन करते हैं। खुली खदान होने पर जलाशय का पानी सूखने से हमारी कृर्षि का उत्पादन क्या होगा, माईनिंग से केवरा जलाशय भर जायेगा ऐसी व्यवस्था करें कि हम अन्न उत्पादन करते रहें ।

23. केवरा में जमीन का रिकार्ड नहीं है, सभी लोग बिना अधिकार के भूमि पर रह रहे हैं। क्योंकि अधिकांश आबादी पण्डो जनजाति के रह रहे है, हमारी तीन पीढी की जमीन का कोई रिकार्ड नहीं है, जिससे रोजगार और जीवन यापन का कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, उद्योग के आने से हमारे लिए क्या होगा।

24. वनभूमि पर जो काबिज है, उनको वितरित कर अधिकार पत्र दिया जाये, सामान्य/पिछडे वर्ग को भी जमीनो की व्यवस्था की जावे।

25. उद्योग की स्थापना होने से कौन नियम या पुर्नवास नियम लागू होगा, यहां की जमीन और संस्कृति प्रभावित नही होगी, लोग विस्थापित होगें तो हमे कहां बसायेंगे, जहां पर हमारे बच्चे पढ़ रहे हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

26. वन विभाग का जंगल को काटकर उस जमीन को विकसित किया गया और जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे पूर्वज अपना जीवन चला रहे हैं, हमारी 5 एकड़ जमीन है, लेकिन वन अधिकार बनाया गया कि एक–एक एकड़ जमीन दिया जायेगा, जमीन के वितरण की जानकारी दें, हम अपनी जमनी का किस प्रकार बंटवारा कर सकते हैं। जमीन के काबिज होने पर दूसरों की जमीन हस्तक्षेप न कर दी जाय।

27. यहां का पर्यावरण शुद्ध है, कॉलरी खोलकर यहां के पर्यावरण को प्रदूषित किया जायेगा। 10 किमी. की परिधि के लोगों का निःशुल्क उपचार किया जाय, क्योंकि यह क्षेत्र पिछड़ा है। प्रदूषण होगा। ध्वनि और भूमि प्रदूषण भी होगा, समीप के पाण्डवपारा से प्रदूषण है तो यहां की स्थिति क्या होगी। कोल खनन, परिवहन से भी पर्यावरण प्रदूषित होगा। कोरबा–चोटिया को दखा जा सकता है, इसका असर यहां के लोगों पर पडेगा, खनन के पूर्व पर्यावरण सुरक्षित करने के उपाय करें। वृक्षारोपण करेंगे तो 10–15 साल लगेंगे बंद होने में, अतः कोल आधारित उद्योग लगायें, क्योंकि जमीन में कुछ नहीं होने पर यहां के लोगों की पूछ नहीं होगी। अतः सही उद्योग लगाये जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। 10 किमी. क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास करें

28. जमीन का अधिकार पत्र नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारी दो–तीन पीढ़ी से रह रहे हैं, कम्पनी के आने से पटवारी अधिकार पत्र नहीं बना रहे हैं। बांस नही है, रोजगार की समस्या है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है हमारे जीवन यापन की व्यवस्था करें।

श्री राहुल तिवारी, प्रोजेक्ट इंचार्ज, मेसर्स भास्करपारा कोल कम्पनी लिमिटेड द्वारा लोकसुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के सम्बंध में मौखिक रूप से जन समुदाय को अवगत कराया गया कि :–

1. भास्करपारा कोल कम्पनी लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार परियोजना से प्रभावित सात गांवो में टयूब वेल्स का निर्माण किया गया है। जिसमे से 3 टयूब वेल्स चल रहे है। प्रस्ताव मिलने पर अतिरिक्त टयूब वेल्स तथा स्कूलो में शौचलय और फर्नीचर की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में कार्यवाही की जायेगी। कम्पनी को आई. टी. आई संचालित करने का अनुभव नहीं है। अतः कंम्पनी द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों के बच्चो को आई. टी. आई की पढाई /प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
2. भास्करपारा कोल माईन के लिये भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही छत्तीसगढ शासन के भू–अर्जन प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें भू–अर्जन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया/प्रावधानों का पालन किया जायेगा। कम्पनी द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य अभी तक प्रारंभ नही किया गया है। कम्पनी द्वारा प्रभावितों के विस्थापन एवं पुर्नवास हेतु छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुर्नवास नीति 2007 यथा संशोधित के अनुसार कम्पनी द्वारा तैयार विस्थापन एवं पुर्नवास प्रस्ताव कलेक्टर महोदय अंबिकापुर, जिला–सरगुजा को प्रस्तुत किया गया है। उद्योग प्रबंधन द्वारा माईनिंग लीज क्षेत्र के नक्शे की जानकारी श्री चतुर्वेदी जी को दी गई। कोयला उत्खनन के दौरान उपचारित माईन वाटर का निस्सारण तालाब में किया जायेगा, जिससे जल स्तर प्रभावित नहीं होगा। खनन क्षेत्र के अर्न्तगत फलदार, इमारती एवं लाभदायी वृक्ष लगाये जायेंगे।
3. कंपनी भूमि अधिग्रहण के लिये ग्राम सभा व पेशा नियम के सभी प्रावधानों का पालन करेगी। 27 वर्ष के बाद खनन कार्य समाप्त होने पर क्षेत्र को सुरक्षित एवं पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त एवं बेहतर किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत क्षेत्र की भूमि को कृषि योग्य उपजाऊ बनाया जावेगा एवं वनों को विकसित कर क्षेत्र को वृक्षों से ढ़ंक दिया जायेगा। खनन कार्य के दौरान उत्पन्न प्रदूषकों को मानक के अनुरूप रखे जाने हेतु सतत् निगरानी एवं प्रभावी कार्यवाही की जावेगी। कम्पनी छत्तीसगढ़ शासन के आदर्श पुर्नवास नीति 2007 का पालन करते हुए ग्रामपंचायत एवं ग्रामसभा से अनुमति प्राप्त कर विस्थापन का कार्य किया जावेगा।
4. कम्पनी द्वारा भूमि एवं गृह विस्थापितों के लिये छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुर्नवास नीति– 2007 यथा संशोधित का पालन करते हुए विस्थापन एवं पुर्नवसन किया जायेगा। कम्पनी द्वारा प्रभावितों के विस्थापन एवं पुर्नवास हेतु छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुर्नवास नीति 2007 यथा संशोधित के अनुसार कम्पनी द्वारा तैयार विस्थापन एवं पुर्नवास प्रस्ताव कलेक्टर महोदय अंबिकापुर, जिला–सरगुजा को प्रस्तुत किया गया है जिसमें पुर्नवास, रोजगार व अन्य स्वरोजगार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार एवं अन्य सुविधाओं के बारे में बताया गया है।
5. कम्पनी द्वारा ईआईए/ईएमपी में विस्थापन एवं पुर्नवास को पर्यावरणीय मापदण्डों के अनुसार सम्मिलित किया गया है। आदिवासियों एवं सामान्य लोगों की भूमि का मुआवजा की भूमि छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुर्नवास नीति 2007 यथा संशोधित के अनुसार दिया जावेगा।
6. आदिवासियों एवं सामान्य लोगों की भूमि का अधिग्रहण, भू–अर्जन कानून के तहत् किया जाकर मुआवजा छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुर्नवास नीति 2007 यथा संशोधित के अनुसार दिया जावेगा। डालाबहरा की मूलभूत सुविधाएं गृह विस्थापितों को प्रदान की जायेंगी एवं ग्रामपंचायत के परामर्श से प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम लागू किया जायेगा।
7. कुर्रिडीह तालाब खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर है तथा तालाब खनन पट्टा क्षेत्र के दक्षिणी सीमा के पास आता है। इसलिए इसके अधिग्रहण की आवश्यकता नही है। कुर्रीडीह के तालाब को उपचारित माईन वाटर से निरंतर भरा जायेगा ।
8. पण्डो जनजाति के लोगो की भूमि का उचित मुआवजा छत्तीसगढ शासन के दिशा निर्देशानुसार अनुमति प्राप्त कर किया जावेगा। कम्पनी द्वारा आदिवासी विकास योजना तैयार की गई है जिसके तहत् पांच साल तक रूपये 7.30 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से कुल रूपये 36.50 लाख खर्च किये जायेंगे। कम्पनी द्वारा आदिवासी विकास

कार्ययोजना तैयार कर विस्थापन एवं पुर्नवास हेतु छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुर्नवास नीति 2007 यथा संशोधित के अनुसार विस्थापन एवं पुर्नवास प्रस्ताव कलेक्टर महोदय अंबिकापुर, जिला–सरगुजा को प्रस्तुत किया गया है। शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रस्ताव अनुसार कार्ययोजना क्रियान्वित की जावेगी।

9. भूमि विस्थापितों को छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुर्नवास नीति 2007 यथा संशोधित के प्रावधान अनुसार रोजगार प्रदान किया जावेगा। कम्पनी द्वारा भूमि के क्रय–विक्रय/अधिग्रहण हेतु किसी भी दलाल की नियुक्ति/नामांकित नहीं किया गया है। भूमि अधिग्रहण सीधे भूस्वामियों से नियमानुसार किया जायेगा। गृह विस्थापित परिवारों का पुर्नवास छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुर्नवसन नीती 2007 यथा संशोधित के तहत आवासीय भू–खण्ड, मूलभूत सुविधायें तथा न्यायोचित आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी। कम्पनी को आई. टी. आई संचालित करने का अनुभव नहीं है। अतः कंम्पनी द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों के बच्चो को आई. टी. आई की पढाई /प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी

10. कोल माईन्स के विकास व उत्पादन का कार्य स्वीकृत माईनिग कार्ययोजना के अनुरुप किया जावेगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुर्नवास नीति 2007 यथा संशोधित के प्रावधान अनुसार रोजगार प्रदान किया जावेगा। भूमि का मुआवजा छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार दिया जावेगा।

11. कम्पनी की खुली खदान से निकलने वाले मलवे को डम्प डी–1 एवं डी–2, जो कि मध्य एवं उत्तर पूर्व क्षेत्र में प्रस्तावित है में डाला जायेगा, ओवर बर्डन डम्प क्षेत्र से बहने बाले पानी को गारलैण्ड ड्रेन के माध्यम से सेटलिंग टैंक के एकत्रित कर उपचारित जल का उपयोग औधोगिक प्रयोजनो एवं क्षेत्र की हरियाली के विकास में किया जावेगा। शेष जल का उपयोग तालाबों के भू–जल स्तर को नियंत्रित करने के लिये किया जावेगा। प्रभावित सातों ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वार्षिक वित्तीय प्रावधान अनुसार व्यवस्था की जायेगी।

12. भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भू–अर्जन कानून एवं छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुर्नवास नीति 2007 यथा संशोधित के प्रावधान अनुसार भूमि का मुआवजा एवं सुविधाएं छत्तीसगढ़ राज्य शासन के निर्देशानुसार दिया जावेगा।

13. कम्पनी द्वारा ईआईए/ईएमपी में विस्थापन एवं पुर्नवास को पर्यावरणीय मापदण्डों के अनुसार सम्मिलित किया गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुर्नवास नीति 2007 यथा संशोधित के प्रावधान अनुसार रोजगार प्रदान किया जावेगा। कम्पनी परियोजना प्रभावितों एवं विस्थापितों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को सतत् निर्वहन करेगी जो खदान संचालित एवं खदान एवं खदान बंद होने के दौरान लागू होगा।

14. भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुर्नवास नीति 2007 यथा संशोधित के प्रावधान अनुसार रोजगार प्रदान किया जावेगा। खदान एवं आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों का क्रियान्वयन स्थानीय लोगों के कल्याण एवं क्षेत्र के विकास हेतु कार्यों को कम्पनी स्वीकृत विस्थापन एवं पुर्नवास कार्ययोजना के अनुसार करेगी। वन अधिकार पत्र सम्बंधी मामले भास्करपारा कोल कम्पनी लिमिटेड के अधिकारक्षेत्र से सम्बंधित नहीं है।

15. भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुर्नवास नीति 2007 यथा संशोधित के प्रावधान अनुसार रोजगार प्रदान किया जावेगा। खदान एवं आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों का क्रियान्वयन स्थानीय लोगों के कल्याण एवं क्षेत्र के विकास हेतु कार्यों को कम्पनी स्वीकृत विस्थापन एवं पुर्नवास कार्ययोजना के अनुसार करेगी। वन अधिकार पत्र सम्बंधी मामले भास्करपारा कोल कम्पनी लिमिटेड के अधिकारक्षेत्र से सम्बंधित नहीं है।

16. जमीन का पट्टा एवं कब्जा से संबधित सारे मामले भास्कापारा कोल कंपनी लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

17. रोजगार के सम्बंध में छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुर्नवास नीति–2007 यथा संशोधित एवं आर एण्ड आर कार्ययोजना के प्रावधानो के अनुपालन में विस्थापित परिवार के सदस्य को रोजगार दिया जायेगा।

18. कम्पनी द्वारा लोकसुनवाई के दौरान परियोजना से प्रभावितों के लिये प्रस्तुत अपनी भावी कार्ययोजना को बगैर किसी भेदभाव के क्रियान्वित किया जावेगा।

19. कम्पनी द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी आवश्यक व्यवस्थायें स्थापित की जायेंगी, जिसमें स्थापित उपकरणों/व्यवस्थाओं की नियमित जांच एवं सुधार सम्मिलित होगा। आसपास के

क्षेत्रवासी स्वस्थ्य रहें इस हेतु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।

20. अधिग्रहित भूमि के पात्र को भूमि एवं मकान से विस्थापितों को छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुनर्वास नीति–2007 यथा संशोधित के प्रावधान अनुसार मुआवजा दिया जावेगा। मुआवजे का स्वरूप आर एण्ड आर कार्ययोजना में दिये गये प्रावधान अनुसार होगा। जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बंध में सक्षम एवं प्रभावी आवश्यक व्यवस्थायें स्थापित की जायेंगी, जिसमें स्थापित उपकरणों/व्यवस्थाओं की नियमित जांच एवं सुधार सम्मिलित होगा। वन अधिकार पत्र संबधित के सारे मामले भास्कापारा कोल कंपनी लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

21. अधिग्रहित भूमि के पात्र को भूमि एवं मकान से विस्थापितों को छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुनर्वास नीति–2007 यथा संशोधित के प्रावधान अनुसार मुआवजा दिया जावेगा। मुआवजे का स्वरूप आर एण्ड आर कार्ययोजना में दिये गये प्रावधान अनुसार होगा। वन अधिकार पत्र संबधित के सारे मामले भास्कापारा कोल कंपनी लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। कम्पनी द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बंध में सक्षम एवं प्रभावी आवश्यक व्यवस्थायें स्थापित की जायेंगी, जिसमें स्थापित उपकरणों/व्यवस्थाओं की नियमित जांच एवं सुधार सम्मिलित होगा।

22. कुर्रिडिह तालाब खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर है तथा तालाब खनन पट्टा क्षेत्र के दक्षिणी सीमा के पास आता है। इसलिए इसके अधिग्रहण की आवश्यकता नही है। कुर्रीडीह के तालाब को उपचारित माईन वाटर से निरंतर भरा जायेगा ।

23. अधिग्रहित भूमि के पात्र को भूमि एवं मकान से विस्थापितों को छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुनर्वास नीति–2007 यथा संशोधित के प्रावधान अनुसार मुआवजा दिया जावेगा। मुआवजे का स्वरूप आर एण्ड आर कार्ययोजना में दिये गये प्रावधान अनुसार होगा। वन अधिकार पत्र संबधित के सारे मामले भास्कापारा कोल कंपनी लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। कम्पनी द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बंध में सक्षम एवं प्रभावी आवश्यक व्यवस्थायें स्थापित की जायेंगी, जिसमें स्थापित उपकरणों/व्यवस्थाओं की नियमित जांच एवं सुधार सम्मिलित होगा।

24. वन भूमि अधिकार पत्र से संबधित के सारे मामले भास्कापारा कोल कंपनी लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र के बहार है।

25. अधिग्रहित भूमि के पात्र को भूमि एवं मकान से विस्थापितों को छत्तीसगढ राज्य आदर्श पुनर्वास नीति–2007 यथा संशोधित के प्रावधान अनुसार मुआवजा दिया जावेगा। मुआवजे का स्वरूप आर एण्ड आर कार्ययोजना में दिये गये प्रावधान अनुसार होगा।

26. वन भूमि अधिकार पत्र एवं अधिपत्य से संबधित के सारे मामले भास्कापारा कोल कंपनी लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र के बहार है।

27. कम्पनी द्वारा तैयार की गई ईआईए/ईएमपी में अध्ययन हेतु 10 किमी. की परिधि के क्षेत्र को सम्मिलित कर विस्थापन एवं पुर्नवास को पर्यावरणीय मापदण्डों के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव तथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बंध में सक्षम एवं प्रभावी आवश्यक व्यवस्थायें स्थापित की जायेंगी, जिससे निस्सारित/उत्सर्जित प्रदूषकों को केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु कार्यवाही सम्मिलित है, इसके साथ ही स्थापित उपकरणों/व्यवस्थाओं की नियमित जांच एवं सुधार सम्मिलित होगा। खनन कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। खदान बंद होने के पश्चात् खनन क्षेत्र में 10.48 लाख नग वृक्ष लगा दिये जायेगें, जिनकी तीन साल तक देख रेख की जायेगी। खदान के ओवर बर्डन डम्प, खाली जगह, कंपनी के आफिस तथा रहिवासी क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर पूरे क्षेत्र को हराभरा कर दिया जायेगा। अधिग्रहित 603.00 हेक्टर भूमि में से 500.00 हेक्टर भूमि पर वृक्षारोपण कर हरियाली कर दी जायेगी।

28. वन भूमि अधिकार पत्र एवं अधिपत्य से संबधित के सारे मामले भास्कापारा कोल कंपनी लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र के बहार है। भूमि तथा घरों के विस्थापितों को रोजगार दिया जायेगा।

आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई ।

लोक सुनवाई के दौरान लिखित में प्राप्त कुल **09** सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां, लोक सुनवाई के दौरान **28** व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थिति पत्रक, वीडियो फिल्म (असम्पादित सी.डी.) एवं फोटोग्राफ्स संलग्न कर लोक सुनवाई कार्यवाही का विवरण सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अंबिकापुर

अपर कलेक्टर,
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा